



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०य०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org



पत्रांक—**१२३**/२४१/एन०य०एल०एम०/तीन/२००१/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक— १-२-१६
सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
रीजनल डायरेक्टर ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग(RDAT)
ए०टी०आई० परिसर,
उद्योग नगर, कानपुर-208022।

विषय: EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशतता के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—K-14014/3/2015-UPA/FTS-14532, दिनांक 15.01.2016 द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—MSDE-2/1/2015/SDI/MES, दिनांक 31.12.2015 के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आर्डर नं०—DGE&T-NO.2/4/2007-MES/IS, दिनांक 02.06.2009, को संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशतता दी गई है।

आपके यहाँ इम्पैनल्ड असेसिंग बाड़ीस द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट में निम्नवत् बिन्दुओं का पालन किया जाना अपेक्षित है—

- 1— श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आर्डर नं०— DGE&T-NO.2/4/2007-MES/IS, दिनांक 02.06.2009 में असेसमेंट उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशतता का पालन(पत्र संलग्न है)।
- 2— प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु असेसमेंट पेपर हिन्दी भाषा में हो।
- 3— असेसमेंट हेतु नामित असेसर हिन्दी भाषी हो और प्रशिक्षणार्थियों से हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में वार्ता करें एवं शहरी गरीब प्रशिक्षणार्थियों से उनके सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रख कर असेसमेंट की कार्यवाही की जाये।

कृपया असेसमेंट हेतु उक्त बिन्दु का पालन किये जाने हेतु आपके यहाँ इम्पैनल्ड असेसिंग बाड़ीस को अपने स्तर से निर्देश जारी करना चाहे, ताकि EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व असेसिंग बाड़ीस अपने हिन्दी भाषी असेसर एवं हिन्दी में असेसमेंट पेपर तैयार कर सकें।

‘संलग्नक’— यथोपरि।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

on मिशन निदेशक

प्रतिलिपि—

1. श्री बी.के.अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. श्री दिनेश निझावन, निदेशक (SDI), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार,
3. सचिव, नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०
6. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, सी०एम०एम०य०।
7. समस्त पी०ओ०/ए०पी०ओ०, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
8. समस्त शहर परियोजना प्रबंधक।
9. समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (जो निविदा के माध्यम से इम्पैनल्ड हैं)
10. समस्त आ०टी०ए०टी० में इम्पैनल्ड असेसिंग बाड़ी।
11. वेव मास्टर सूडा को संलग्नक सहित सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशननिदेशक

on



No. K-14014/3/2015-UPA/FTS-14532

भारत सरकार / Government of India
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15.11.2016

सेवा मे,

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
मिशन निदेशक
राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ.प्रदेश
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ 226010

महोदय,

आपके पत्रांक सं 015/241/एन.यू.एल.एम./3/2001/EST&P (SDI)AB दिनांक 10.12.2015 एवं 042/241/एन.यू.एल.एम./3/2001/EST&P (SDI)AB दिनांक 21.12.2015 के संदर्भ मे हमे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है की, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सभी एसेसिंग बाडिज को एस.डी.आइ. के तहत परीक्षा मे उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्रतिशतता के दिशानिर्देश जारी हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के उक्त पत्र की छाया प्रति आपके सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

महोदय
25/11/16

FC/PD

25/11/16

भवदीय,
(पी. वी. नायर)

भारत सरकार के अवर सचिव, यू.पी.ए. 1
Telefax No. 23061185

2130/81
SMM (EST/89)

28.11.16
28.11.16

Shri Shailender Kumar Singh
Director, State Urban Development Agency
Government of Uttar Pradesh
Navchetna Kendra 10, Ashok Marg,
Lucknow – 226 001

सभी मिशन निदेशक (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) को सूचनार्थ

453170

3

MSDE-2/1/2015/SDI/MES
Government of India
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

To

Dated 31st December, 2015


Ms. Archana Mittal,
Director (UPA)
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation,
Room no. 307-C, Nirman Bhawan, New Delhi

SO (UPA-S)
A.M.
31/12/15

Subject: Minimum percentage for passing the examination under SDI scheme.
Madam,

Please refer to letter No. 042/241/NULM/three/2001(EST&P) HUPA-GOI dated 21/12/2015 seeking clarification regarding pass percentage in practical and theory examination under SDI scheme. It is informed that instructions have already been issued vide order No. DGE&T-2/4/2007-MES/IS dated 2nd June, 2009 (copy enclosed) to all Assessing Bodies regarding minimum pass percentage in practical and theory examination under SDI scheme. For practical minimum pass percentage is 60% and for theory examination minimum percentage is 40%. Meanwhile all Assessing Bodies are being instructed to comply with the above instructions.

Yours faithfully,


(Dinesh Nijhawan)
Director (SDI)
Tel.:011-23708071

Re/
31/12/15
S. SKS

New Delhi: 2nd June 2009

ORDER

Sub: Expedition of minutes of the meeting of the Sub-committee under Skill Development Initiative (SDI) Scheme based on Modular Employable Skills to formulate the framework for assessment of competency standards in order to maintain uniformity for various MES courses.

In pursuance of minutes of the meeting of Sub-Committee under Skill Development Initiative (SDI) Scheme to formulate the framework for assessment of competency standards in order to maintain uniformity for various MES modules/sectors was held under the chairmanship of the DG/JS, DGE&T, Ministry of Labour & Employment at 11.00AM on 8.05.2009 in Committee Room, C-Wing, Shram Shakti Bhawan, New Delhi, it has been decided that the following uniform marking procedure should be followed in assessment of trainees under SDI-MES Scheme. After detailed deliberations on this issue, all the members have agreed on the following break up of marks for a module course/module test:

Sl. No.	Subject for the trade Test	Max. Marks	Minimum % for Pass	Minimum Marks for Pass in each Subject
1.	Practical	150 Practical - 120 Safety - 10 Cleanliness/quality - 10 Attitude - 10	60%	90
2.	Theory	50	40%	20
	Total	200		110

2. It has also been decided to implement the following:
 - RDAT has to send results & certificates to VTPs within three working days.
 - RDAT has to process with VTP for bills reimbursement So that training cost can be reimbursed to successful candidates immediately after declaration of results.
3. All the empaneled Assessing Bodies are requested to comply the above decisions of the sub-committee and implement the same while assessment under SDI Scheme.
4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Copy to:

1. All RDATs- for strict compliance please.
2. All Assessing Bodies with request to implement the above decisions of the Sub-Committee & compliance report may be sent to DGE&T Hqrs..

(A. S Kesai)
DDG (AT) I/c.

R.B.S. Naik
JDT (SDI-MES)

issue
F. 18/05/09 Q.C. O/C